

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी 2022 — माघ 29, शक 1943

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 फरवरी 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-27/2008/29-2(3).— आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 (1955 का सं. 10) की धारा 3 सहपठित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के खण्ड 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश में,—

खण्ड 9 के उप-खण्ड (2) में, शब्द “कलेक्टर के अनुमोदन पर” का लोप किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 14 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 9-27/2008/29-2(3).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-2-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 14th February 2022

NOTIFICATION

No. F. 9-27/2008/29-2(3).— In exercise of the powers confirmed by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with clause 21 of Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2016, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order, 2016, namely :-

AMENDMENT

In the said order,-

In sub-clause (2) of clause 9, the words "on approval of Collector" shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.